


08/11/24

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रॉफे. शं.
नहीं है। प्रॉफे. का वादपत्र खासित हो
सुका है। वादपत्र के अभाव में प्रापत्र
रीआई के चलाये जाने का कोई औचित्य
नहीं है। अतः प्रार्थना - पत्र रीआई खासित
प्रिभत जाल है।


सहायक कलक्टर
लालसोट जिला-बीसा (राज.)

